न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 31/2019/TI

1. चन्द्राराम
2. रामुराम } पुत्रगण घीसाराम उर्फ घीसाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरिपुरा तन लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

3. पतासी देवी पुत्री घींसाराम उर्फ घासीराम पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मंगरासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. तीजू देवी पुत्री घीसाराम उर्फ घासीराम पत्नि बीरमाराम जाति जाट निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. कमला देवी पुत्री घीसाराम उर्फ घासीराम पत्नि गोविन्दराम जाति जाट निवासिनी ग्राम नेहरू नगर तन हुडील तहसील नावां जिला नागौर।
6. चावली देवी पुत्री घीसाराम उर्फ घासीराम पत्नि प्रभुराम।
7. छोटी देवी पुत्री घीसाराम उर्फ घासीराम पत्नि गुमानाराम ।

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सिणगारी देवी पत्नि केशरराम उर्फ केशाराम
2. पन्नाराम दत्तकपुत्र केशाराम उर्फ केशरराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरिपुरा तन लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर

3. भंवरीदेवी पत्नि श्योदानाराम पुत्री केशरराम उर्फ केशाराम जाति जाट निवासी ग्राम जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. जिनकु देवी पत्नि पन्नाराम
5. गणपतलाल पुत्र पन्नाराम
6. दीपेन्द्र पुत्र पन्नाराम
7. मंगलाराम पुत्र घीसाराम उर्फ घासीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरिपुरा तन नगरपालिका लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

8. जुगलकिशोर जाखड़ पुत्र नामालूम जाति जाट हाल निवासी एचपी पेट्रोल पम्प बलवन्तपुरा बसस्टेण्ड के पास लोसल रोड़ ग्राम हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
9. शेखावाटी इन्टरनेशनल एकेडमी जरिये प्रबंध निदेशक लोसल रोड़ ग्राम हरिपुरा तन नगरपालिका लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
10. मंगलाराम
11. नोलाराम } पुत्रगण घासीराम
12. गोपीराम

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

13. सोहनलाल
14. रामुराम } पुत्रगण घासीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण खानड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

15. बड़ोदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोसल जरिये मेनेजर ग्राम नगरपालिका लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
16. पंजाब नेशनल बैंक लोसल जरिये मैनेजर ग्राम नगरपालिका लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
17. उप–पंजीयक लोसल उपतहसील नगरपालिका लोसल तह0 दांतारामढ जिला सीकर।
15. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री राजेन्द्र जाट व राजेन्द्र सिंह रणवां अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 व 8 ता 14 की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 09.07.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1ता 7 की शामलाती कृषि भूमियां जो पैतृक है भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 1.72 है0, ख0नं0 300 रकबा 0.21 है0 गैर मुमकिन सड़क, ख0नं0 303 रकबा 0.41 है0 किता 3 कुल रकबा 2.34 है0 ग्राम खानड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 86 जो 9 बीघा 5 बिस्वा है। जिसमें वर्तमान में खातेदारी केशा पुत्र नाथूराम के नाम सें है। जबकि मौके पर कब्जा काश्त प्रर्थीगण व अप्रार्थी सं0 7 का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 है तथा भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.15 है0 गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 427 रकबा 3.20 है0 चाही कुल किता 4 कुल रकबा 3.41 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 के पूर्वज केशा पुत्र नाथू व घीसा पुत्र मेघा के नाम सें 1/2 हिस्सा है तथा भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 63 रकबा 1.4900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.49 हैक्टर वाके ग्राम खानड़ी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवथित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के पूर्वजों के नाम सें 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा सहखातेदार अप्रार्थीगण सं0 10 ता 14 की शामलाती कब्जाकाश्त व खातेदारी की है। उपरोक्त भूमियों पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण शामलाती रूप में अपने अपने हक

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

हिस्से पर काबिज काश्त चलते आ रहे है। अप्रार्थी सं0 8 व 9 ने अवैध निर्माण भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 3.20 हैक्टर ग्राम हरिपुरा में अप्रार्थी सं0 8 ने पूर्वी व दक्षिणी सीमा के सहारे 100 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थी सं0 9 ने उक्त खसरा नम्बर 427 के पश्चिम दिशा में करीब 800–900 वर्गमीटर पर बलात् कब्जा कर अवैध निर्माण चला रखा है जिसको रूकवाकर अवैध निर्माण को तोडा जाना न्यायोचित है। उक्त अतिक्रमण प्रार्थीगण की भूमियों पर कर लिया है उस अतिक्रमण को न्यायहित में हटाना आवश्यक हो गया है तथा नींव सींव सीमाज्ञान कर पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है तथा जितनी भूमि पर अप्रार्थी सं0 8 व 9 ने पुख्ता निर्माण किया है उसें तोड़कर कब्जा वापस प्रार्थीगण को सम्भलाया जावे।

2. अप्रार्थी सं0 1 ता 6 व 8 ता 14 की ओर सें पेश जवाब आवेदन में कथन है कि वादीगण का वाद बिल्कुल निराधार व काल्पनिक आधारों पर पेश किया गया है जिसमें वादीगण को सफलता की उम्मीद नहीं है। आवेदन की मद सं0 2 में प्रतिवादीगण ने खण्डन किया है कि जिस तरह सें तहरीर की गई है अस्वीकार है भूमि खसरा नम्बर 33, 300, 303 वाके ग्राम खानड़ी मे होना स्वीकार किया है परन्तु उक्त सम्पदा अनावेदक सं0 1 ता 6 की पैतृक सम्पति है। परन्तु आवेदकगण व अनावेदक सं0 7 का उक्त भूमियों में कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमियों की खातेदारी केशा पुत्र नाथू के नाम होना स्वीकार है जबकि मौके पर कब्जा काश्त अनावेदक सं0 1 ता 6 का है। भूमि खसरा नम्बर 424 ता 427 वाके ग्राम हरिपूरा में अवस्थित होना स्वीकार है तथा उक्त भूमियों में वर्तमान में खातेदारी आवेदकगण व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 7 के पूर्वजों के नाम हिस्सा बराबर बराबर होना स्वीकार है तथा मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटी हुई है तथा मौके पर नींव सींव कायम कर पुख्ता आवास निवास बना कर रह रहे है। अनावेदक सं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 427 पर निर्माण कार्य किया हुआ है तथा वर्तमान में स्थगन जारी होने सें मौके पर निर्माण कार्य रूका हुआ है तथा उक्त भूमियों मे सें भूमि खसरा नम्बर 427 का प्रार्थी ने अपने हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई भूमि में सें कुछ भूमि खेल ग्राउण्ड के लिए अनावेदक सं0 9 को किराये पर दे रखा है। उक्त अनावेदक सं0 9 द्वारा अनावेदक सं0 2 को समय समय पर किराया अदा करता रहता है। भूमि खसरा नम्बर 28, 63 वाके ग्राम खानड़ी में अवस्थित होना स्वीकार है परन्तु उक्त भूमियों आवेदकगण व अनावेदक सं0 1 ता 7 व 10 ता 14 की शामलाती भूमियां न होकर मौके पर अलग अलग नींव सींव कायम कर अलग अलग काश्त की जाती है तथा बाहमी बंटवारा वर्षो पूर्व हो चुका है तथा अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है तथा अलग अलग कब्जा काश्त है।

3. आवेदक अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर प्रार्थीगण 1 ता 7 व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 व 8 ता 14 की ओर सें पेश लिखित बहस दोनो पक्षों की पढी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व मूल आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को पढा जाकर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र सें साबित होता है कि प्रर्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और खातेदार के हितों का संरक्षण करना न्यायलय आवश्यक समझता है। अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

अपनी कृषि भूमियों को उन्नत बनाने हेतु ऋण एवं अन्य सुविधाओं से स्थगन की वजह से वंचित रह रहे है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हितों का निर्धारण मूलवाद में तय होना है अतः पूर्व में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner